

उपनाम : कंवर लाल उनाम तहसीलदार रावतभाटा
प्र. सं. : 54/15
धारा : 136 रा. ल. अ. र. एक्ट

01/10
2024

पत्रावली पेशा हुई। प्रार्थीगण व वकील प्रार्थीगण न्यायालय में अनुपस्थित। प्रार्थीगण व वकील प्रार्थीगण को न्यायालय द्वारा न्यायालय समय पर तीन बार अलग-अलग समय पर आवाज लगावाई गई बावजूद प्रार्थीगण व वकील प्रार्थीगण न्यायालय में अनुपस्थित। अतः न्यायालय में प्रकरण में प्रार्थीगण की ओर से पैरवी हेतु उपस्थित नहीं होने से प्रार्थना-पत्र इसी स्तर पर अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल कुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर शामिल दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

